Public Notice

In compliance to the Section 61, 62, 64, 86(1)(a) and 86(1)(k) of the Electricity Act, 2003 and applicable Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission (CSERC) (Terms and conditions for Determination of Tariff according to Multi Year Tariff Principle, Methodology and Procedure for determination of Expected revenue from the Tariff and Charges) Regulations, 2015, M/s SKS Power Generation (Chhattisgarh) Limited, has filed a Petition before the CSERC for the determination of variable cost for FY 2018-19 to 2019-20 in terms of and other reimbursable expenses from its 4×300 MW coal based thermal power plants located at Village-Binjkot & Darramura, Tehsil-Kharsia, Dist.-Raigarh (CG) is supplying five percent (5%) of net generated power at (variable cost) to Chhattisgarh State Power Distribution Company Limited (CSPDCL). This petition is registered as petition no.59 of 2023.

In the petition, M/s SKS Power Generation (Chhattisgarh) Limited has requested the Commission to approve Energy Charge Rate of 2.948 INR/kWh for FY 2018-19 and 2.300 INR/ kWh for 2019-20, which includes fuel related charges/variable charges and ash charges, statutory charges, duties and taxes as pass-through based on actual incurred bases @ 16 paisa/kWh and interest on working capital @ 11 paisa/kWh from the CSPDCL. M/s SKS has also prayed for actual recovery towards filling and publication fee, carrying cost and other reimbursable expenses.

Persons intending to file Objections / suggestions, on the above petition, may submit the same to Secretary, Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission, Irrigation Colony, Shanti Nagar, Raipur – 492001 (CG), E-mail: cserc.sec.cg@nic.in and/ or copy to petitioner office at M/s SKS Power Generation (Chhattisgarh) Limited, Village- Binjkot & Darramura, Tehsil-Kharsia, Dist.-Raigarh, (CG) Email – corporateoffice@spgcl.com within 21 days of publication of this notice.

Copy of this notice and the petition are available on the Commission's website www.cserc.gov.in. Hardcopy of the aforesaid petition is also available in office of the Commission and same can be purchased by paying an amount of Rs. 200/- from 11 AM to 4 PM on any working day. The copy of the petition may also be obtained by post by paying an additional amount of Rs. 50/- as postal expenses. The Commission shall also conduct public hearing on the above petition for which place, date and time shall be notified separately through newspapers.

M/s SKS Power Generation (Chhattisgarh) Limited
Village- Binjkot & Darramura, Tehsil-Kharsia, Dist.-Raigarh,(CG)

आमसूचना

विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 61, 62, 64, 86(1)(a) एवं 86(1)(k) के प्रावधानों सहपठित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (बहुवर्षीय टैरिफ सिद्धान्तों के अनुरूप टैरिफ के निर्धारण और टैरिफ एवं प्रभारों से अनुमानित राजस्व अवधारणा हेतु अपनाई जाने वाली कार्य प्रणाली एवं प्रक्रिया तथा निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2015 के अनुपालन में विद्युत उत्पादन कंपनी मेसर्स एसकेएस पॉवर जनरेशन (छत्तीसगढ़) लिमिटेड द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के समक्ष के वित्तीय वर्ष 2018–19 से वित्तीय वर्ष 2019–20 में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (सी.एस.पी.डी.सी.एल.) को विक्रय किए गए ऊर्जा की ऊर्जा प्रभार दर और प्रतिपूर्ति योग्य खर्चों के अनुमोदन हेतु याचिका दायर की गई है। यह याचिका, ग्राम बिंजकोट एवं दर्रामुरा, तहसील–खरसिया, जिला–रायगढ़ (छ.ग.) स्थित कोयला आधारित 4×300 MW थर्मल पॉवर प्लान्ट जो कि नेट जनरेटेड पॉवर का 5 प्रतिशत पॉवर सी. एस.पी.डी.सी.एल. को आपूर्ति कर रहा है, से संबंधित है। इस याचिका को 59/2023 के रूप में पंजीकृत किया गया है।

इस याचिका में मेसर्स एसकेएस पॉवर जनरेशन (छत्तीसगढ़) लिमिटेड के द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के समक्ष वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए 2.948 रू/kWh एवं वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए 2.300 रू/kWh की ऊर्जा प्रभार दर की मांग की गई है, जिसमें ईंधन संबंधित शुल्क/परिवर्तनीय शुल्क, राख शुल्क, वैधानिक शुल्क, ड्युटि एवं कर शामिल हैं, जो कि वास्तविक व्यय के आधार पर 16 पैसे/kWh की दर है, एवं लाभार्थी से कार्यशील पूंजी पर 11 पैसे/kWh की दर से ब्याज राशि के अनुमोदन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

उपरोक्त याचिका पर सुझाव/आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन के 21 दिवस के भीतर सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, विद्युत नियामक भवन, सिंचाई कॉलोनी, शांति नगर, रायपुर–492001, ईमेलः cserc.sec.cg@nic.in के समक्ष एवं/या मेसर्स एसकेएस पॉवर जनरेशन (छत्तीसगढ़) लिमिटेड, ग्राम बिंजकोट एवं दर्रामुरा, तहसील–खरसिया, जिला–रायगढ़ (छ.ग.), ई–मेलः corporateoffice@spgcl.com पर भेजी जा सकती है।

उपरोक्त याचिका की प्रति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, विद्युत नियामक भवन, सिंचाई कालोनी, शांति नगर रायपुर 492001 के कार्यालय में उपलब्ध है। याचिका की मुद्रित प्रति कार्यालयीन दिवसों में रूपये 200/– का भुगतान कर पूर्वान्ह 11:00 से सांयः 4:00 के बीच प्राप्त की जा सकती है। याचिका की प्रति रूपये 50/– (डाक व्यय) का अतिरिक्त भुगतान कर डाक द्वारा भी प्राप्त की जा सकती है। याचिका की प्रति आयोग की वेबसाइट www.cserc.gov.in पर उपलब्ध है। उक्त याचिका पर निर्धारित की गई तिथि, समय एवं स्थान पर जन–सुनवाई भी की जावेगी, जिसकी सूचना आयोग द्वारा समाचार पत्रों में पृथक से प्रकाशित की जायेगी।

मेसर्स एसकेएस पॉवर जनरेशन (छत्तीसगढ़) लिमिटेड,
ग्राम बिंजकोट एवं दर्रामुरा, तहसील–खरसिया,
जिला–रायगढ़ (छ.ग.)